



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-11, Aliganj, Lucknow 226024, Telefax-2326696  
Email: rcoz.lko@mefrc.nic.in

पत्र सं० 8बी/यूपीओ/08/24/2021/एफओसी/S 2

दिनांक : 29.04.2022

सेवा में,  
मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,  
वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग,  
लखनऊ, उ०प्र०।

**Online Proposal No. FP/UP/Road/40150/2019**

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर में नदीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच-334ए), तक्सर-परकाजी किमी० 0.00 से किमी० 15.089 के चौड़ाकरण हेतु 0.21 हे० संरक्षित वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवशेष विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-2800/11-सी-FP/UP/Road/40150/2019, लखनऊ, दिनांक-01.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रसंगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.02.2021 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ माँगी गई थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

- 1- As per DSS analysis, area proposed for diversion is 0.10 ha. which is lower than the actual proposed area. As per Geo-referenced map, a forest patch is missing from .kml file of area proposed for diversion. This needs rectification. Rectified .kml file of complete route needs to be submitted. Accordingly if area proposed for diversion is changed then all related documents need to be modified and resubmitted.

TC

29/4/2022  
02/5/22

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. अति मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सा०या० प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, एन०एच० डिवाजन, पी०डब्ल्यू०डी०, गाजियाबाद।

5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

भवदीया,  
(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक-3093 /11-सी-FP/UP/Road/40150/2019 दिनांक, लखनऊ, मई 02, 2022

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी, अभियन्ता, एन०एच० डिवाजन, पी०डब्ल्यू०डी०, गाजियाबाद।

(अनुपम गुप्ता)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

Lt. ST Page No.1624

कार्यालय वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर  
दिनांक 29.04/14-10 (40150/2019) दि० 04-5-22

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०या० प्रभाग, मुजफ्फरनगर को  
इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध  
कराना सुनिश्चित करें।

अग्रप्रेषित

(सुरेश कुमार पाण्डे)

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
सहारनपुर वृत्त

वन संरक्षक (क्षेत्रीय निदेशक)

सहारनपुर वृत्त

सहायक